

कर राजस्व

कर राजस्व			(₹ करोड़)			
कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2020-2021	बजट 2021-2022	संशोधित 2021-2022	बजट 2022-2023	
कर राजस्व						
1. निगम कर						
1.01.	संग्रहण	412013.46	473365.39	549519.23	623076.92	
1.02.	अधिभार	14078.58	52596.15	61057.69	69230.77	
1.03.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	17795.16	21038.46	24423.08	27692.31	
1.04.	शास्तियां	79.47	
1.05.	व्याज वसूलियां	1754.61	
1.06.	घरेलू कम्पनियों के भुनाए गए लाभों पर कर	3800.98	
1.07.	यूनिटधारकों को वितरित आय पर कर	8007.03	
1.08.	विविध प्राप्ति	189.68	
जोड़-निगम कर		457718.97	547000.00	635000.00	720000.00	
2. आय पर कर						
2.01.	संग्रहण	442607.02	474663.47	514903.85	588461.54	
2.02.	अधिभार	5537.78	52740.38	57211.53	65384.61	
2.03.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	18026.39	21096.15	22884.62	26153.85	
2.04.	शास्तियां	146.56	
2.05.	व्याज वसूलियां	3717.67	
2.06.	काले धन के तहत कर	6.64	
2.07.	विविध प्राप्ति	349.18	
2.09.	प्रतिभूति लेन देन कर	16926.99	12500.00	20000.00	20000.00	
2.10.	होटल प्राप्ति कर	0.30	
2.11.	व्याज कर	2.36	
2.12.	अनुपंगी लाभ कर	-181.86	
2.13.	आय तथा व्यय पर अन्य कर					
2.13.01.	व्यय कर	4.55	
2.13.02.	आय घोषणा योजना, 2016	0.12	
2.13.03.	अन्य प्राप्ति	
जोड़-आय तथा व्यय पर अन्य कर		4.67	
2.14.	कृषि कल्याण उपकर	0.01	
जोड़-आय पर कर		487143.71	561000.00	615000.00	700000.00	
3. संपदा कर						
3.01.	संपदा शुल्क	1.38	
3.02.	धन पर कर	10.47	
जोड़-संपदा कर		11.85	
4. पण्य लेन-देन कर						
4.	पण्य लेन-देन कर	0036	1.89	
5. सीमा शुल्क						
5.01.	आयात शुल्क					
5.01.01.	बुनियादी शुल्क (स्क्रिप डेबिट के जरिए सहित)					
5.01.01.01.	स्क्रिप डेबिट के अलावा अन्य	0037	106525.93	97950.00	128940.00	
5.01.01.02.	स्क्रिप आधारित विभिन्न योजनाओं के कारण आरओडीटीईपी लेजर में डेबिट के द्वारा	0037	...	13000.00	20740.00	
जोड़-बुनियादी शुल्क (स्क्रिप डेबिट के माध्यम से किए गए सहित)			106525.93	110950.00	149680.00	
5.01.02.	सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी)	0037	
5.01.03.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क	0037	887.41	850.00	880.00	
5.01.04.	प्राथमिक शिक्षा उपकर	0037	56.04	
5.01.05.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0037	8.12	
5.01.06.	समाज कल्याण अधिभार	0037	13447.39	14800.00	12745.00	

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2020-2021	बजट 2021-2022	संशोधित 2021-2022	(₹ करोड़) बजट 2022-2023
5.01.07.	स्वास्थ्य कर	0037	-13.52	800.00	775.00	870.00
5.01.11.		0037	24450.00	27400.00
<i>जोड़-आयात शुल्क</i>			<i>120911.37</i>	<i>127400.00</i>	<i>188530.00</i>	<i>211450.00</i>
5.02.	निर्यात शुल्क	0037	-1188.17	100.00	-900.00	50.00
5.03.	निर्यात पर उपकर	0037	9214.64	3500.00	1370.00	1500.00
5.04.	अन्य प्राप्तियां	0037	2290.98	5000.00
5.05.	सार्वजनिक नीलामी द्वारा सोने की बिक्री	0037	169.49
5.06.	जब्त माल की बिक्री प्राप्तियां	0037	651.99
5.07.	स्वर्ण पर सीमा शुल्क	0037
5.08.	आकलन के लिए अग्रिम भुगतान की रसीद	0037	87.85
5.09.	सुरक्षा शुल्क	0037	1986.81
5.10.	सड़क और अवसंरचना उपकर	0037	1.57
5.13.	एंटी डंपिंग शुल्क	0037	623.86
<i>जोड़-सीमा शुल्क</i>			<i>134750.39</i>	<i>136000.00</i>	<i>189000.00</i>	<i>213000.00</i>
6. केंद्रीय उत्पाद शुल्क						
6.01.	बुनियादी उत्पाद शुल्क	0038	54059.55	47500.00	26125.00	26900.00
6.02.	मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	26895.29
6.03.	हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	85289.24
6.04.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0038	5098.81	5250.00	5250.00	5500.00
6.05.	मोटर स्प्रिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	79358.52	74350.00	92970.00	95750.00
6.06.	तम्बाकू उत्पादों पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	0.19
6.07.	राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर					
6.07.01.	प्राथमिक शिक्षा उपकर	0038	0.72
6.07.02.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0038	0.49
6.07.03.	कच्चे तेल पर उपकर	0038	10894.45	9900.00	17500.00	18020.00
6.07.04.	बीड़ी पर उपकर	0038
6.07.05.	चीनी पर उपकर	0038	0.35
6.07.06.	ऑटोमोबाइल पर उपकर	0038
6.07.07.	अन्य	0038
6.07.08.	स्वच्छ पर्यावरण उपकर	0038	0.01
6.07.09.	अवसंरचना उपकर	0038	-0.07
6.07.10.	मोटर स्प्रिट और उच्च गति वाले डीजल तेल (सड़क और अवसंरचना उपकर) पर उत्पाद शुल्क	0038	123596.45	198000.00	203235.00	138450.00
6.07.11.	पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी)	0038	48920.00	50380.00
<i>जोड़-राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर</i>			<i>134492.40</i>	<i>207900.00</i>	<i>269655.00</i>	<i>206850.00</i>
6.08.	अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर					
6.08.01.	रबड़	0038	0.04
6.08.02.	जूट	0038	0.06
6.08.03.	चाय	0038	0.05
6.08.04.	तेल और तेल के बीज	0038	0.14
6.08.05.	सूत	0038	0.02
6.08.06.	तंबाकू	0038	0.01
6.08.07.	कागज	0038	0.01
<i>जोड़-अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर</i>			<i>0.33</i>
6.09.	उत्पाद संबंधी अन्य शुल्क	0038	-17.98
6.10.	विशेष उत्पाद कर	0038	4374.20
6.11.	विद्युत उत्पाद पर उत्पाद शुल्क	0038

						(₹ करोड़)
कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2020-2021	बजट 2021-2022	संशोधित 2021-2022	बजट 2022-2023	
6.12.	कपड़ा और कपड़े के बने वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	0.07
6.13.	खनिज उत्पाद पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038
6.14.	बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	-0.56
6.15.	टीवी सेट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	-2.20
6.16.	अन्य शुल्क	0038	35.42
6.17.	जन्त वस्तुओं की बिक्री	0038	0.05
6.18.	विविध प्राप्तियां	0038	83.75
जोड़-केंद्रीय उत्पाद शुल्क			389667.08	335000.00	394000.00	335000.00
7. सेवा कर						
7.01.	संग्रहण	0044	1579.51	1000.00	1000.00	2000.00
7.02.	प्राथमिक शिक्षा उपकर	0044	5.09
7.03.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0044	2.81
7.04.	स्वच्छ भारत उपकर	0044	17.34
7.05.	कृषि कल्याण उपकर	0044	10.60
7.06.	अन्य प्राप्तियां	0044	-0.51
जोड़-सेवा कर			1614.84	1000.00	1000.00	2000.00
8. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)						
8.01.	केंद्रीय माल एवं सेवा कर	0005	456333.97	530000.00	570000.00	660000.00
8.02.	समेकित माल एवं सेवा कर	0008	7251.43
8.03.	जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर	0009	85191.91	100000.00	105000.00	120000.00
जोड़-वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)			548777.31	630000.00	675000.00	780000.00
9. वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क						
9.01.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	0040
9.02.	अन्य कर	0045	2081.46
जोड़-वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क			2081.46
10. संघ राज्य क्षेत्रों के कर						
10.01.	भू राजस्व	0710	9.20	36.41	36.41	27.05
10.02.	स्टाम्प और पंजीकरण	0710	238.08	381.54	381.54	422.90
10.03.	राज्य उत्पाद शुल्क	0710	874.19	1555.03	1555.03	1716.50
10.04.	बिक्री कर	0710	988.54	1342.79	1342.79	1487.01
10.05.	वाहनों पर कर	0710	192.49	333.09	333.09	368.45
10.06.	सामान और यात्रियों पर कर	0710	3.92	25.25	25.25	28.50
10.07.	बिजली पर कर और शुल्क	0710	23.64	58.00	58.00	64.00
10.08.	अन्य कर और शुल्क	0710	242.08	0.03	0.03	0.11
10.09.	केंद्र शासित माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी)	0007	2764.20	3327.13	3327.13	3705.61
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों के कर			5336.34	7059.27	7059.27	7820.13
11. घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी						
11.01.	एनसीसीडी (सीमा शुल्क)	0037	-721.19	-850.00	-880.00	-900.00
11.02.	एनसीसीडी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)	0038	-5098.81	-5250.00	-5250.00	-5500.00
निवल-घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी			-5820.00	-6100.00	-6130.00	-6400.00
12. घटाइए-राज्यों का हिस्सा						
12.		0710	-594996.76	-665562.74	-720556.85	-816649.47
13. घटाइए-वास्तविक आंकड़ों के अनुसार समायोजित राज्यों हिस्से						
13.		0710	-24227.77	...
जोड़-कर राजस्व			1426287.08	1545396.53	1765144.65	1934770.66
कुल जोड़			1426287.08	1545396.53	1765144.65	1934770.66

1. निगम कर : यह कर कंपनियों की आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लगाया जाता है। 2021-2022 के लिए निगम कर का संशोधित अनुमान, 5,47,000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 6,35,000 करोड़ रुपए है। 2022-2023 का बजट अनुमान 7,20,000 करोड़ रुपए है।

2. **आय पर कर :** यह लोगों, कंपनियों के अलावा, फर्मों पर आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर है। इस शीर्ष में अन्य कर, मुख्यतः प्रतिभूति लेन-देन कर, यह स्टॉक एक्सचेंज और म्यूचुअल फंड यूनिटों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में लेन-देन पर प्रभारित किया जाता है। आयकर से आय जो बजट अनुमान 2021-2022 में 5,61,000 करोड़ रुपये था, संशोधित अनुमान 2021-2022 में यह 6,15,000 करोड़ रुपये है। 2022-2023 का बजट अनुमान 7,00,000 करोड़ रुपये है।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 से आय कर के 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (अधिभार सहित) लगाया जाता है।

3. **संपदा कर:** धन कर अधिनियम, 1957 के तहत, यह कर व्यक्तियों और कम्पनियों सहित कतिपय व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट परिसम्पतियों पर लगाया जाता है। 2020-21 में संपदा कर की वास्तविक संग्रह 11.85 करोड़ रुपये था। इस कर को 2016-17 से समाप्त कर दिया गया है।

5. **सीमा शुल्क :** 2021-2022 के लिए सीमा शुल्क का सं.अ. 1,75,000 करोड़ रुपए है जबकि व.अ. 1,36,000 करोड़ रुपए हैं। 2022-2023 के लिए बजट अनुमान 2,05,000 करोड़ रुपए है।

5.01.01. **बुनियादी शुल्क (स्क्रिप्स डेबिट के द्वारा सहित) :** सीमा शुल्क का मूलभूत शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आयातित माल पर उग्रहणीय है।

5.01.01.01 **स्क्रिप्स डेबिट के अलावा अन्य :** सीमा शुल्क का मूल्य शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आयातित माफ पर उग्रहणीय है।

5.1.01.02 **विभिन्न स्क्रिप्स आधारित योजनाओं के लिए देय आरओडीटीईआर लेजर में डेबिट के द्वारा :** वर्तमान योजनाओं के अलावा, कुछेक शुल्क क्रेडिट स्क्रिप, जिसका प्रयोग वर्तमान वर्ष में किया जाता है, वैसी योजनाओं के संबंध में हैं तो एफटीपी के संदर्भ में पहले चल रही थीं और जिनमें वर्तमान वर्ष में शुल्क क्रेडिट बकाया राशि की अनुमति दी गई है। शुल्क क्रेडिट योजना में निर्यातकों के लिए कुछेक क्रेडिट राशि की व्यवस्था की गई है, जिसका प्रयोग मूल्य सीमाशुल्क के भुगतान के लिए किया जाता है। शुल्क क्रेडिट की अनुमति अन्य बातों के साथ-साथ निर्याती वस्तुओं पर लगाए गए कर/शुल्क/उपकर की प्रतिपूर्ति के लिए दी गई है। स्क्रिप निर्यातक के बही खाते, जिसका अनुरक्षण सीमाशुल्क एफडीआई में किया जाता है, में क्रेडिट किया जाता है। ऐसी योजना का ब्यौरा नीचे दिया गया है –

- (i) भारत से मर्चेन्डाइज निर्यात योजना (एमईआईएस) (संशोधित अनुमान 2021-22 11000 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2022-23 में 3288.49 करोड़ रुपए)
- (ii) भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) (बजट अनुमान 2021-22 में 1335 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2022-23 में 4000.80 करोड़ रुपए)
- (iii) केन्द्र और राज्य सरकार के करों तथा उपकरों पर छूट योजना (आरओएससीटीएफ) (संशोधित अनुमान 2021-22 में 2812 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2022-23 में 7640.60 करोड़ रुपए)
- (iv) राज्य उपकर छूट योजना (आरओएसएल) संशोधित अनुमान 2021-22 में 90 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2022-23 में 66 करोड़ रुपए
- (v) मोबाईल फोन के लिए 2% अतिरिक्त तदर्थ बोनस प्रोत्साहन (बजट अनुमान 2022-23 में 12.20 करोड़ रुपए)
- (vi) अनायातीत उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट (आरओडीटीईपी) संशोधित अनुमान 2021-22 में 5242 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2022-23 में 14245.40 करोड़ रुपए)
- (vii) टारगेट प्लस स्कीम (टीपीएस) (संशोधित अनुमान 2021-22 में 224 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2022-23 में 1032.68 करोड़ रुपए)
- (viii) फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एफपीएस) और बाजार संबंध फोकस प्रोडक्स स्कीम (संशोधित अनुमान 2021-22 में 10 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2022-23 में 377.12 करोड़ रुपए)
- (ix) फोकस मार्केट स्कीम (एफएमएस) (संशोधित अनुमान 2021-22 में 10 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2022-23 में 116.85 करोड़ रुपए)
- (x) विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (वीकजीयूवाई) (बजट अनुमान 2022-23 में 90.76 करोड़ रुपए)
- (xi) स्टेटस होल्डर प्रोत्साहन योजना (एसएचआईएस) (संशोधित अनुमान 2021-22 में 10.34 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2022-23 में 169.20 करोड़ रुपए)
- (xii) इंकीमेंटल एक्सपोर्ट प्रोत्साहन योजना (वार्षिक और तिमाही) (बजट अनुमान 2022-23 में 149.90 करोड़ रुपए)
- (xiii) भारतीय योजना से सेवा प्राप्त (एसएफआईएस) (संशोधित अनुमान 2021-22 में 6.66 करोड़ रुपए)

5.01.02. **सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क :** सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अंतर्गत उग्रहणीय है जो घरेलू रूप से विनिर्मित उत्पादों पर उग्रहणीय उत्पाद शुल्क के समतुल्य है। इस शुल्क को 01 जुलाई 2017 से जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित (कुछ पेट्रोलियम उत्पादों, जो जीएसटी से बाहर हैं को छोड़कर) कर लिया गया है।

5.01.03. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क : वित्त अधिनियम 2001 के द्वारा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क कुछेक निर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर लगाया जाता है और वित्त अधिनियम 2003 के तहत कच्चे पेट्रोलियम पर लगाया जाता है। अन्य मदों पर (एनसीसीडी) को 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी में मिला दिया गया है।

5.01.07 स्वास्थ्य उपकर: यह उपकर कुछेक चिकित्सा उपकरणों पर सीमा शुल्क के रूप में लगाया जाता है।

5.1.11. कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी): कृषि अवसंरचना और विकास उपकर को कृषि अवसंरचना और अन्य विकास व्यय को वित्तपोषित करने के लिए वित्त अधिनियम 2021 के तहत सीमा शुल्क के रूप में लगाया जाता है।

5.1.12. विभिन्न स्क्रिप आधारित योजनाओं के लिए देय आरओडीटीईपी लेजर में डेबिट के द्वारा : निर्यातित वस्तुओं पर शुल्क और कर छूट की योजना का उद्देश्य निर्यातित उत्पादों के विनिर्माण एवं वितरण की प्रक्रिया में केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर लगाए गए कर/शुल्क/उपकर की प्रतिपूर्ति करना है, प्रतिपूर्ति की गई राशि निर्यातक के लेजर खाते सीमा शुल्क ईडीआई में जमा किया जाता है, इस जमाराशि का प्रयोग आयातीत वस्तुओं पर मूल्य सीमा शुल्क को कम करने के लिए लेजर में जमा किया जाता है। आरओडीटीईपी योजना 1 जनवरी, 2021 से लागू की गई है।

5.02. निर्यात शुल्क: कुछेक विनिर्दिष्ट मदों जैसे लोह अयस्क और लौहा के कंसट्रेट्स क्रोमियम आदि के निर्यात पर लगाया जाता है।

6. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 2021-2022 के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का संशोधित अनुमान 3,94,000 करोड़ रुपए है जबकि बजट अनुमान 3,35,000 करोड़ रुपए है। 2022-2023 के लिए ब.अ. 3,35,000 करोड़ रुपए है।

6.01. बुनियादी उत्पाद शुल्क : बुनियादी उत्पाद शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 में विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है। इस शुल्क को 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी में मिला दिया गया है (पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर जो जीएसटी से बाहर है)

6.02. मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क: मोटर स्पिरिट पर उत्पाद का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम (सं. 2) 1998 द्वारा लगाया जाता है। इसे सड़क और अवसंरचना-उपकर के स्थान पर लगाया गया है।

6.04. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क: वित्त अधिनियम 2001 के द्वारा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क कुछेक निर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर लगाया जाता है और वित्त अधिनियम 2003 के तहत कच्चे पेट्रोलियम पर लगाया जाता है। अन्य मदों पर (एनसीसीडी) को 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी में मिला दिया गया है।

6.05. मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क: मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वित्त अधिनियम, 2002 के तहत लगाया है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।

6.07.10. मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल ऑयल पर उत्पाद शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर) : हाई स्पीड डीजल ऑयल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 के द्वारा लगाया गया है। इसके स्थान पर सड़क और अवसंरचना उपकर लगाया गया है।

6.7.11. कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) : कृषि अवसंरचना और विकास उपकर वित्त अधिनियम, 2021 के तहत कृषि अवसंरचना तथा अन्य विकास व्यय के वित्तपोषण के प्रयोजन हेतु सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं पर लगाया गया है।

7. सेवा कर : सेवा कर 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी में मिला दिया गया है। वर्ष 2021-22 के सेवाकर अवशिष्ट (बकाया राशि) का संशोधित अनुमान 1,000 करोड़ रुपए है जबकि बजट अनुमान 1000 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के सेवा कर अवशिष्ट (बकाया राशि) का बजट अनुमान 2000 करोड़ रुपये है।

8. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी): माल एवं सेवा कर (जीएसटी) 01 जुलाई, 2017 से प्रभाव में आया। जीएसटी मानव उपभोग के एल्कोहल युक्त शराब की आपूर्ति को छोड़कर माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सीजीएसटी का संशोधित अनुमान 5,70,000 करोड़ रुपए है जबकि इसका ब.अ. 5,30,000 करोड़ रुपए का है।

सीजीएसटी का वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट अनुमान 6,60,000 करोड़ रुपए है। आईजीएसटी राजस्वकृणों के प्रति-उपयोग के परिणाम स्वरूप केन्द्र और राज्यों के बीच समानुपात विभाजन और निधि के निपटारे के अध्यधीन है। जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर के संबंध में संशोधित अनुमान 2021-22 और बजट अनुमान 2022-23 क्रमशः 1,05,000 करोड़ रुपए और 1,20,000 करोड़ रुपए है।

13. वास्तविक के अनुसार राज्य के भाग को समायोजित करने के पश्चात् घटाएं: कर अंतरण के समायोजन पूर्व अवधि के लेखा के समायोजन के अनुसार राज्यों को 24,227.77 करोड़ रुपए देय है, जिसके इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना है। वर्ष 2019-20 के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित की तुलना में 677.34 करोड़ रुपए अतिरिक्त अंतरण की वसूली के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए करों के वास्तविक संग्रह और अनुमानित हिस्सेदारी के बीच के अंतर के कारण राज्य सरकारों को 20,852.46 करोड़ रुपए देय है और 4,052.65 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2018-19 के गैर विनियोजित आईजीएसटी का भाग है। पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य (विधानमंडल वाले अब संघ राज्य क्षेत्र को समायोजित हिस्सेदार 41.72 करोड़ रुपए है, जिसे केन्द्रीय सहायता के रूप में अंतरित किया जाएगा।